भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1882

उत्तर देने की तारीख: 14.03.2022

केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया

†**1882. श्री दयाकर पसुनूरी**:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने की कोई संभावना नहीं है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयू-सीईटी) के लिए सहमति सहमति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और
(ड) सहमति देने वाले और अब तक सहमति न देने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ड): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की परिकल्पना के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कम से कम 13 भाषाओं में सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की स्थापना की है। सामान्य प्रवेश परीक्षा के छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली पर बोझ कम होने जैसे लाभों को ध्यान में रखते हुए, लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयूईटी में भाग लेने के इच्छुक हैं।

*****